बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/वि 11–05/2020–340 पटना, दिनांक 02/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी के मानदेय भुगतान हेतु ₹36,00,00,000/- (छत्तीस करोड़) रूपये व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 59 दिनांक–29.05.2025 के द्वारा ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़) रूपये व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी थी।

वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–2274 दिनांक–12.08.2025 के द्वारा रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000/–रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 10,000/–रूपये प्रतिमाह किया गया है। बढ़े हुए मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय भुगतान हेतु ₹36,00,00,000/- (छत्तीस करोड़) रूपये व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. विद्यालय में अधिष्ठापित सामग्रियों के साथ–साथ पूर्व से उपलब्ध सामग्रियों के सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था का निदेश विभागीय पत्रांक–1969 दिनांक–25.10.2019 द्वारा दिया गया। विभागीय पत्रांक–1969 दिनांक–25.10.2019 के तहत यह व्यवस्था है कि आवश्यकतानुसार रात्रि प्रहरी को अनुबंध के आधार पर प्रतिमाह ₹5,000/– रूपये के मानदेय पर रखा जा सकता है और मानदेय का भुगतान विद्यालय के विकास कोष में संचित राशि से किये जाने का निदेश निर्गत है। विभागीय संकल्प संख्या–2274 दिनांक–12.08.2025 के द्वारा रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000/–रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 10,000/–रूपये प्रतिमाह किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रात्रि प्रहरी के मानदेय भुगतान की व्यवस्था

हेतु 10,000/– रूपये प्रति माह की दर से कुल ₹36,00,00,000/- (छत्तीस करोड़) पूर्व से उपलब्ध आकड़ों के आधार उपलब्ध करायी जा रही है। यह राशि इस उद्देश्य के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कि पूर्व में संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति एवं जहाँ यह समिति गठित नहीं है अथवा विद्यालय विकास कोष संधारित नहीं है, वहाँ विद्यालय शिक्षा समिति को राशि उपलब्ध कराई जा सके।

4. इस राशि का आवंटनादेश बजट शाखा के माध्यम से जिला द्वारा प्राप्त अधियाचना अथवा संबंधित जिला द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किये गये आकलन के आलोक में CFMS प्रक्रिया से निर्गत किया जायेगा। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा कोषागार से करते हुए उसे संबंधित विद्यालय के विकास कोष में अंतरित करते हुए विकास कोष के माध्यम से संबंधित रात्रि प्रहरी को नियमानुसार मानदेय का भुगतान उनके खाते के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

5. **बजट शीर्ष** :– चालू वित्तीय वर्ष **2025–26** में ₹36,00,00,000/- (छत्तीस करोड़) का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202, सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा लघुशीर्ष–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उपशीर्ष–0001–अन्य विद्यालय, विपत्र कोड–21–2202021090001 के अन्तर्गत विषयशीर्ष–0001.28.02–संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त बजटीय शीर्ष अन्तर्गत बजटीय शीर्ष अंतर्गत 36,00,00,000/– (छत्तीस करोड़) रूपये का अतिरिक्त उपबंध द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया गया है।

6. विद्यालय स्तर पर उक्त योजना के अनुश्रवण की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति, जिलास्तर पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की होगी।

7. व्यय की गई राशि का उपयोगिता, शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की होगी।

8. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा। राशि के व्यय के संबंध में वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05–10–2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त राशि के व्यय में वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा 12888 दिनांक–03.12.2024 एवं समय–समय पर वित्त एवं विभागीय निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाए।

11. संचिका संख्या–11/वि 11–05/2020 के नोट..185 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. संचिका संख्या–11/वि 11–05/2020 के नोट 208 पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांकः 11/वि 11–05/2020 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः 11/वि 11–05/2020 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/योजना शाखा, शिक्षा विभाग/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग (दो प्रति)/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः 11/वि 11–05/2020 – 340 पटना, दिनांक 02/02/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग